

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

मुकेश कुमार सिंह

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2022 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 5697

20 जून, 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री और माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.
बी. प्रसाद सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या बिहार वैट अधिनियम, 2005 की धारा 31 के तहत दिनांक 31.03.2021 का पुनर्मूल्यांकन आदेश धारा 26(3) सहपठित धारा 24(3) के अनुसार समय-बाधित है, और यदि हां, तो क्या इसे अधिकार क्षेत्र के बिना पारित किया गया था।

हेडनोट्स

कराधान कानून – बिहार वैट अधिनियम, 2005 – धारा 24(3), 26(3), 31 – पुनर्मूल्यांकन आदेश दिनांक 31.03.2021 – धारित, समयबाधित एवं अधिकार क्षेत्र से बाहर।

पैरा 6, 8-9 : रिटर्न की देय तिथि (31.12.2016) से जुड़ी धारा 26(3) के तहत पुनर्मूल्यांकन की समय सीमा 31.12.2019 को समाप्त हो गई। 16.12.2019 को ऑडिट के माध्यम से पुनर्मूल्यांकन शुरू हुआ, लेकिन 31.03.2021 के आदेश में इसका समापन हुआ, जो अनुमेय 36 महीने की अवधि से परे है और इस प्रकार अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

नोटिस की तामील - ईमेल और पंजीकृत डाक के माध्यम से संचार की वैधता - याचिकाकर्ता ने तामील पर विवाद किया - माना गया, तामील न होने से कार्यवाही खराब हो जाती है जहां अधिकार क्षेत्र समय-बद्ध है।

पैरा 3, 5 : याचिकाकर्ता ने 26.12.2020 की नोटिस प्राप्ति से इनकार किया। प्रतिवादियों ने पंजीकृत डाक के माध्यम से सेवा का दावा किया। न्यायालय ने सेवा पर निर्णायक रूप से निर्णय नहीं दिया, बल्कि यह माना कि अधिकार क्षेत्र के आधार पर आदेश विफल हो गया।

वैधानिक व्याख्या - सीमा अवधि - क्या 36 महीने की सीमा रिटर्न की देय तिथि या ऑडिट की तिथि से शुरू होती है - अवधि रिटर्न की देय तिथि से शुरू होती है।

पैरा 6-7 : न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 26(3) के तहत सीमा अवधि रिटर्न दाखिल करने की वैधानिक नियत तिथि (31.12.2016) से शुरू होती है, न कि ऑडिट की तिथि से। यह तर्क कि 36 महीने ऑडिट तिथि (16.12.2019) से शुरू होते हैं, खारिज कर दिया गया।

संवैधानिक कानून - वैधानिक उपचार के बावजूद रिट की स्थिरता - क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि रिट हस्तक्षेप के लिए योग्य है।

पैरा 7-8 : तमिलनाडु सीमेंट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम एमएसई फैसिलिटेशन काउंसिल , (2025) 4 एससीसी 1 का हवाला देते हुए, न्यायालय ने माना कि रिट तब लागू होती है जब आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर होता है। स्थिरता पर राज्य की आपत्ति को खारिज कर दिया गया।

राहत - विवादित पुनर्मूल्यांकन और मांग नोटिस को खारिज किया गया - धन वापसी और अन्य परिणामी राहत मांगने की स्वतंत्रता प्रदान की गई।

पैरा 9-10 : पुनर्मूल्यांकन आदेश और मांग नोटिस रद्द। याचिकाकर्ता को 3 महीने के भीतर सक्षम प्राधिकारी से धन वापसी और अन्य लाभ मांगने की अनुमति दी गई।

न्याय दृष्टान्त

तमिलनाडु सीमेंट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम माइक्रो और लघु उद्यम सुविधा परिषद , (2025) 4 एससीसी 1

अधिनियमों की सूची

बिहार मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 – धारा 24(3), 26(3), 31

मुख्य शब्दों की सूची

वैट ऑडिट; समय-बाधित मूल्यांकन; क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि; धारा 26(3); धारा 24(3); सीमा अवधि; वैधानिक नोटिस; रिफंड; मांग निरस्त; बिहार वैट अधिनियम

प्रकरण से उत्पन्न

वित्तीय वर्ष 2015-16 की लेखापरीक्षा के आधार पर बिहार वैट अधिनियम; 2005 की धारा 31 के तहत जारी एकपक्षीय पुनर्मूल्यांकन आदेश दिनांक 31.03.2021 और मांग नोटिस को चुनौती।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता की ओर से: श्रीमती उषा कुमारी, अधिवक्ता; श्री शशि भूषण सिंह, अधिवक्ता

राज्य की ओर से: श्री विवेक प्रसाद, जीपी 7; सुश्री सुप्रज्ञा, जीपी 7 के एसी;
सुश्री रूना, जीपी 7 के एसी; श्री संजय कुमार, जीपी 7 के एसी; श्रीमती
मनीषा सिंह, जीपी 7 के एसी

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: सुश्री आकांक्षा मालवीय, अधिवक्ता

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2022 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 5697

=====

मुकेश कुमार सिंह, निवासी एकडेरवां मसुरिया, डाक -भठा, भठना, थाना-मकेर,
जिला-सारण-841215

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य आयुक्त सह राज्य कर सचिव, बिहार, नवीन सचिवालय, पटना के माध्यम से।
2. आयुक्त सह प्रधान सचिव, वित्त, बिहार सरकार, पटना।
3. अपर राज्य कर आयुक्त (लेखा परीक्षा), सारण प्रमंडल, छपरा ।
4. अपर राज्य कर आयुक्त (प्रशासन), सारण प्रमंडल, छपरा ।
5. संयुक्त राज्य कर आयुक्त, सारण अंचल, छपरा ।
6. सहायक राज्य कर आयुक्त, सारण अंचल, छपरा ।

..... उत्तरवादी/ओं

=====

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्रीमती उषा कुमारी, अधिवक्ता
 श्री शशि भूषण सिंह, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री विवेक प्रसाद, जी.पी.7
 सुश्री सुप्रग्या, जी.पी.7 के एसी
 सुश्री रूना, जी.पी.7 के एसी
 श्री संजय कुमार, जी.पी.7 के एसी
 श्रीमती मनीषा सिंह, जी.पी.7 के एसी

=====

गणपूर्ति: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री**और****माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. प्रसाद सिंह****मौखिक निर्णय****(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री)****तिथि: 20-06-2025**

वर्तमान याचिका में, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहत के लिए
 प्रार्थना की है:

“(क) प्रतिवादियों को एक रिट(ओं), निर्देश, विशेष रूप से परमादेश की प्रकृति का एक रिट जारी करना ताकि वैट अधिनियम की धारा 31 के तहत दिनांक 31.03.2021 के आक्षेपित एकपक्षीय पुनर्मूल्यांकन आदेश और मांग नोटिस को रद्द किया जा सके, साथ ही दिनांक 10.02.2022 का नोटिस भी जारी किया जा सके, जो याचिकाकर्ता की जानकारी के बिना समयबद्ध कार्यवाही और 2015-16 की समयबद्ध एवं एकपक्षीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट के तहत पारित किया गया था और अतिरिक्त सीएसटी, सारण डिवीजन को 32,96,871.00 रुपये की अतिरिक्त राशि वापस करने का निर्देश दिया गया था, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार है।

(ख) वैंट अधिनियम की धारा 70 के तहत निर्धारित ब्याज सहित अतिरिक्त टीडीएस राशि वापस करने के वैधानिक दायित्व पर विचार करने के लिए प्रतिवादियों को रिट/निर्देश जारी करना, जबकि, यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि जहां निर्धारित प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को वापस की जाने वाली राशि, वापसी योग्य राशि के साठ दिनों के भीतर उसे वापस नहीं की जाती है, तो निर्धारित प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को छह प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करेगा।

(ग) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में याचिकाकर्ता को मिलने वाली कोई अन्य राहत प्रदान करना।”

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (इसके बाद 'अधिनियम, 2005' के रूप में संदर्भित) के तहत, फर्म द्वारा विवरणी दाखिल करने की प्रणाली धारा 26 के तहत है और यह धारा 24 के साथ पठित कर के स्व-मूल्यांकन से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने 15.12.2016 को वर्ष 2015-16 के लिए विवरणी दाखिल किया। वर्ष 2015-16 के लिए विवरणी दाखिल करने की समय सीमा 31.12.2016 है। प्रतिवादियों ने ऑडिट के लिए याचिकाकर्ता की फर्म का चयन करते समय धारा 26 की उप-धारा 2 का प्रयोग किया और ऑडिट कराया गया। उन्होंने कुछ विसंगतियों को देखा है और 16.12.2019 (अनुलग्नक-2) पर लेखा परीक्षा करने के लिए आगे बढ़े हैं। याचिकाकर्ता के 13.01.2021 को 11.00 बजे अपराह्न पर उपस्थित होने के लिए 26.12.2020 को आगे का नोटिस निर्गत किया गया था। याचिकाकर्ता अनुपस्थित रहा, जिसके परिणामस्वरूप, संबंधित प्राधिकरण 01.12.2021 पर आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ा। इसलिए, वर्तमान याचिका।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 26.12.2020 का नोटिस कानून द्वारा ज्ञात तरीके से तामील नहीं किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ईमेल भेजा गया है, जो याचिकाकर्ता को प्राप्त नहीं हुआ है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी की आक्षेपित कार्रवाई अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उप-धारा 3 के साथ पठित धारा 26 की उप-धारा 3 के विपरीत है, इस हद तक कि वर्ष की समय सीमा की तारीख से 36 महीने के भीतर 2015-16 की गणना की जानी आवश्यक है, जो कि 31.12.2016 से प्रभावी है, जबकि अधिनियम, 2005 की धारा 31 के तहत 31.03.2021 पर आदेश पारित किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता को अपीलीय प्राधिकारी या न्यायाधिकरण के समक्ष अपील के वैधानिक उपाय को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है, इस तथ्य के मद्देनजर कि प्रतिवादियों के पास 31.12.2019 के बाद संबंधित प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र की सीमा तक अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उप-धारा 3 के साथ धारा 26 की उप-धारा 3 के प्रकाश में धारा 31 के तहत आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है (तिथि की गणना 36 महीने की अवधि के लिए 31.12.2016 से की जानी आवश्यक है)। इसलिए, आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य हैं।

4. इसके विपरीत, प्रतिवादियों के पक्ष में विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त तर्क का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को इस आशय की स्वीकृति के तहत पंजीकृत डाक के माध्यम से नोटिस दिया गया है कि उसने स्वीकृति के तहत अन्य पंजीकृत डाक के साथ मूल रिकॉर्ड प्रस्तुत किया था जिसे याचिकाकर्ता मुकेश कुमार सिंह को भेजा गया है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 26 की उप-धारा 3, धारा 24 की उप-धारा 3

को धारा 31 के साथ पढ़ने के लिए, लेखा परीक्षा की तारीख यानी 16.12.2019 से 36 महीनों की गणना की जानी आवश्यक है। इसलिए, याचिकाकर्ता ने इस तथ्य के सवाल पर प्रतिवादी की आक्षेपित कार्रवाई में हस्तक्षेप करने के लिए कोई मामला नहीं बनाया है कि अधिकारियों ने अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उप-धारा 3 के साथ पठित धारा 26 की उप-धारा 3 का उल्लंघन किया है।

5. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया। निर्विवाद तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने स्व-मूल्यांकन के तहत 15.12.2016 को वर्ष 2015-16 के लिए रिटर्न दाखिल किया था। आधिकारिक प्रतिवादियों ने धारा 24 की उप-धारा 3 के तहत ऑडिटिंग के उद्देश्य से याचिकाकर्ता का रिटर्न लिया और 16.12.2019 को मामले का ऑडिट किया। इसके बाद, उन्होंने 26.12.2020 को याचिकाकर्ता को 13.01.2021 को सुबह 11 बजे उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया। यह नोटिस याचिकाकर्ता को नहीं दिया गया। दूसरी ओर, मूल अभिलेख से यह स्पष्ट है कि आधिकारिक प्रतिवादियों ने पावती के तहत पंजीकृत डाक के माध्यम से सूचना दी है। अगला सवाल यह होगा कि क्या आधिकारिक प्रतिवादियों ने लेखा परीक्षा की प्रक्रिया को पूरा करने और धारा 31 के साथ पठित धारा 24 की उप-धारा 3 के साथ पठित उप-धारा 26 (3) के तहत अंतिम आदेश पारित करने में उल्लंघन किया है या नहीं? धारा 26 (3), 24 (3) और 31 को फिर से प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो इस प्रकार हैं:

“26 (3) उप-धारा (2) के तहत चुने गए विक्रेता का लेखापरीक्षा धारा 24 की उप-धारा (3) के अर्थ के भीतर नियत तारीख से छत्तीस महीने की अवधि के भीतर निर्धारित तरीके से किया जाएगा।

24 (3) प्रत्येक पंजीकृत विक्रेता निर्धारित तिथि पर या उससे पहले, निर्धारित प्रपत्र और तरीके से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में एक सही और पूर्ण विवरणी निर्धारित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

व्याख्या: इस उप-धारा में, "नियत तारीख" का अर्थ है-

(क) निम्नलिखित श्रेणी के व्यापारियों के मामले में, उस वर्ष के बाद वाले वर्ष की 31 दिसंबर की तिथि, जिससे ऐसी विवरणी संबंधित है:

(i) कंपनी अधिनियम, 1956 के अर्थ में कोई कंपनी, या

(ii) कंपनी से भिन्न कोई व्यक्ति, जिसके लेखों का इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत लेखा-परीक्षण किया जाना अपेक्षित है या जहां धारा 54 के तहत लेखाकार की रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है;

(ख) किसी अन्य मामले में, उस वर्ष के बाद वाले वर्ष की 31 जुलाई की तिथि, जिससे ऐसी विवरणी संबंधित है।

31. बच गए बिक्री-राशि के कर का निर्धारण या

पुनर्मूल्यांकन- (1) यदि विहित प्राधिकारी का, धारा 26 की उप-धारा (3) के अधीन किए गए लेखापरीक्षा के आधार पर या अन्यथा, यह विश्वास करने के लिए उचित आधार मौजूद हैं कि इस अधिनियम के तहत या बिहार वित्त अधिनियम, 1981 (1981 का बिहार 5) के तहत किसी भी निर्धारण के संबंध में, जैसा कि वह धारा 94 द्वारा इसके निरसन से पहले था, किसी भी अवधि के दौरान, इस अधिनियम या उक्त अधिनियम के तहत कर के लिए उत्तरदायी वस्तुओं की किसी भी बिक्री या खरीद का, किसी भी कारण से, कम मूल्यांकन किया गया है या मूल्यांकन से बच गया है, या कम दर पर कर के लिए मूल्यांकन किया गया है, या उससे कोई कटौती गलत तरीके से की गई है, या एक निवेश कर क्रेडिट का गलत दावा किया गया है, तो निर्धारित प्राधिकारी, ऐसी तरीके

से जो निर्धारित की जाए और विक्रेता को निर्धारित रूप में और निर्धारित तरीके से एक नोटिस देने के बाद, उस वर्ष की समाप्ति से चार साल के भीतर, जिसके दौरान मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन का मूल आदेश पारित किया गया था, ऐसे मामले में जहां विक्रेता ने ऐसी बिक्री या खरीद या निवेश कर क्रेडिट के पूर्ण और सही विवरणों को छिपा दिया है, छोड़ दिया है या खुलासा करने में विफल रहा है, ऐसे विक्रेता द्वारा देय कर का आकलन या पुनर्मूल्यांकन करने के लिए आगे बढ़ेगा और इस अधिनियम के प्रावधान, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू करें जैसे कि इस उप-धारा के तहत सूचना धारा 27 के तहत एक सूचना थी:

बशर्ते कि कर की राशि का निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन ऐसी कटौती की अनुमति देने के बाद किया जाएगा जो उक्त अवधि के दौरान स्वीकार्य थी और उन दरों पर जिन पर इसका आकलन किया जाता अगर बिक्री-राशि निर्धारण से बच नहीं जाता।

(2) (क) विहित प्राधिकारी, ऐसे मामले में जहां विक्रेता ने ऐसी बिक्री या खरीद या निवेश कर क्रेडिट के पूर्ण और सही विवरणों को छिपा दिया है, छोड़ दिया है या प्रकट करने में विफल रहा है, निर्देश देगा कि विक्रेता, धारा 24 की उप-धारा (10) के तहत देय ब्याज की राशि के अलावा, जुर्माने के रूप में उस कर की राशि के तीन गुना के बराबर राशि का भुगतान करेगा जो बिक्री या खरीद के कारोबार पर निर्धारित की गई है या की जा सकती है जो निर्धारण से बच गई है।

(ख) खंड (क) के तहत लगाया गया जुर्माना कर की उस राशि के अतिरिक्त होगा, जिसका निर्धारण उस बिक्री या खरीद

के बिक्री-राशि पर किया जाता है या किया जा सकता है जो निर्धारण से बच गया हो।

(ग) विक्रेता को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना इस उप-धारा के तहत कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

(3) इस धारा के तहत किया गया कोई भी निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन और लगाया गया कोई भी जुर्माना धारा 81 के तहत की गई या की जा सकने वाली किसी भी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

6. अधिनियम, 2005 की धारा 26 की उप-धारा 3 को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि निर्धारित समय सीमा अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उप-धारा 3 के अर्थ के भीतर नियत तिथि से 36 महीने की अवधि के लिए है। धारा 24 की नियत तारीख की उप-धारा 3 को स्पष्टीकरण के शीर्षक के तहत निपटाया गया है और इसमें दो तिथियां शामिल हैं, जिन्हें नियत तारीख के उद्देश्य के लिए नोट किया जाना आवश्यक है, अर्थात् वर्ष का 31 दिसंबर और वर्ष का 31 जुलाई। वर्तमान मामले में, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विवरणी 15.12.2016 को दाखिल किया गया है और वर्ष 2015-16 के लिए समय सीमा 31.12.2016 है, 36 महीनों की गणना 31 दिसंबर, 2016 से की जानी चाहिए और यह 31 दिसंबर, 2019 तक होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 16.12.2019 को धारा 26 की उप-धारा 3 को लागू करते समय लेखा परीक्षा की गई है। हालाँकि, आदेश 31.03.2021 को पारित किया गया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उप-धारा 26 (3) के तहत लेखा परीक्षा, नोटिस निर्गत करने और अंतिम आदेश पारित करने के लिए इसे पूरा करने के लिए स्वतंत्र रूप से कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इस तरह की समय सीमा के अभाव में, कोई भी यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता है कि

लेखा परीक्षा की तारीख से 36 महीने का ध्यान रखने की आवश्यकता है। वर्तमान मामले में, वर्ष 2015-16 के लिए 15.12.2016 को विवरणी दाखिल करने के संदर्भ में 16.12.2019 को लेखा परीक्षा की जा रही है। इसलिए, प्रतिवादी के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि लेखा परीक्षा की तारीख से 36 महीने की गणना की जानी चाहिए, न कि संबंधित वर्ष के लिए समय सीमा (नियत तारीख) की तारीख से।

7. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्त ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के पास अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील करने और आगे दूसरी अपील करने का वैधानिक उपचार है। वर्तमान मामले में इसकी जांच नहीं की जा सकती क्योंकि आधिकारिक प्रतिवादी, जिन्होंने कार्यवाही (आक्षेपित कार्रवाई) शुरू की और पूरी की है, अधिनियम, 2005 की धारा 26 की उप-धारा 3 के साथ पठित अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उप-धारा 3 के तहत निर्धारित समय सीमा से परे हैं। इस स्तर पर **तमिलनाडु सीमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद और अन्य** मामले में (2025) 4 सर्वोच्च न्यायालय मामला 1:2025 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 127 में प्रतिवेदित मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर ध्यान देना आवश्यक है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समाप्त करने वाले वैधानिक उपचार के अभाव में रिट याचिका पर विचार करने के लिए सिद्धांत निर्धारित किए हैं और वे संख्या में चार हैं अर्थात्। "(ए) संविधान के भाग III द्वारा संरक्षित मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट याचिका दायर की गई है; (बी) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है; (सी) आदेश या कार्यवाही पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं; या (डी) किसी विधान के वैधता को चुनौती दी गई है।"

8. वर्तमान मामला खंड-(ग) के अंतर्गत आएगा इस सीमा तक कि याचिकाकर्ता ने वैधानिक उपाय का उपयोग नहीं किया है और यह तथ्य कि आधिकारिक प्रतिवादियों के पास वर्ष 2015-2016 के लिए 15.12.2016 को रिटर्न दाखिल करने की तिथि के संदर्भ में 31.12.2019 के बाद कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उपर्युक्त निर्णय इस मामले पर उपयुक्त रूप से लागू होता है, जहाँ तक राज्य प्रतिवादियों द्वारा उठाई गई आपत्ति का संबंध है, इस सीमा तक कि याचिकाकर्ता के पास अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष वैधानिक उपाय अपील है। तदनुसार, प्रतिवादियों का उपर्युक्त तर्क अस्वीकार किया जाता है।

9. इन तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों की विवादित कार्रवाई में हस्तक्षेप करने का एक मामला बनाया है। तदनुसार, 31.03.2021 का विवादित आदेश और मांग नोटिस तथा 10.02.2022 के नोटिस को अपास्त किया जाता है। याचिकाकर्ता परिणामी लाभ, यदि कोई हो, प्राप्त करने के लिए संबंधित प्राधिकारी से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है। संबंधित प्राधिकारी को एतद्वारा 03 (तीन) माह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार परिणामी लाभ का निवारण करने का निर्देश दिया जाता है।

10. रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

(एस. बी. प्रसाद सिंह, न्यायमूर्ति)

मनीष/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।